

प्रेस विज्ञप्ति  
थाना सिधारी

पाक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

सिधारी थाना क्षेत्र की प्रार्थनी ने थाने पर तहरीर दी कि दिनांक 3.10.2020 की रात में मेरी लड़की शौच करने गयी फिर वापस नहीं आयी। प्रार्थनी ने सुबह अपनी लड़की को न मिलने पर काफी तलाश किया तो पता चला कि प्रार्थनी की लड़की को सरवन बासफोर पुत्र फूलचन्द्र निवासी जहानागंज मिश्रा मार्केट थाना जहानागंज ने बहला फुसला कर भगा ले गया है। प्रार्थनी की तहरीर पर थाना स्थानीय पर मु 0अ0स0 177/20 धारा 363/366 भादवि पंजीकृत किया गया। दौराने विवेचना पीड़िता/अपहृता की बाद बरामदगी अभियुक्त सरवन बासखोर पुत्र फूलचन्द्र सा 0 मिश्रा मार्केट बनकटा मुस्तफाबाद थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार किया गया तथा बाद अवलोकन मेडिकल रिपोर्ट व अवलोकन प्रमाण-पत्र धारा 376 भादवि एवम् ¼ पाक्सो एक्ट की बढ़ोतरी की गई।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे पाक्सो एक्ट की अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अभियान व अभियुक्तों की गिरफ्तारी व अवैध शराब माफियों की गिरफ्तारी व सघन चैकिंग/वांछित/वारण्टी व टाप 10 अपराधियों की शत प्रतिशत गिरफ्तारी के अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज कुमार पाण्डेय व क्षेत्राधिकारी नगर डा0 राजेश कुमार के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक विनय कुमार मिश्र के निर्देशन में उप निरीक्षक दिग्विजय नाथ तिवारी मय हमराहीगण थाना स्थानीय से प्रस्थान कर देखभाल क्षेत्र तलाश वांछित अभियुक्तगण मे भ्रमणशील होकर छतवारा बूथ पर मामूर थे कि उसी समय मुखबिर खास ने सूचना दिया कि मु 0अ0स0 177/20 धारा 363/366/376 भादवि एवम् ¼ पाक्सो एक्ट का अपराधी जो दिनांक 03.10.2020 को एक लड़की को बहला फुसलाकर भगा लेकर चला गया था वही अभियुक्त व अपहृता छतवारा गजीपुर जाने वाले मेन रोड स्टैण्ड पर सवारी गाड़ी का इन्तजार कर रहा है। तत्पश्चात उ 0नि0 मय हमराही के व मुखबिर खास को साथ लेकर छतवारा गजीपुर जाने वाले मेन रोड स्टैण्ड में पहुंचे तो वहा पर एक आदमी व लड़की खड़ी है पुलिस वालो को देखकर घबड़ाने लगे और इधर उधर जाने लगे तभी पुलिस द्वारा तत्परता पूर्वक दोनो लोगो को हिरासत में लेकर नाम पता पूछा गया तो अपना नाम 1. सरवन बासखोर पुत्र फूलचन्द्र सा0 मिश्रा मार्केट बनकटा मुस्तफाबाद थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ बताया व अपहृता मुकदमे से सम्बन्धित बरामद हुई। उपरोक्त मुल्जिम को अपराध का बोध कराते हुये दिनांक 09.10.20 समय 17.19 बजे शाम को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायलय किया जा रहा है।

**पूछताछ का विवरण** - 1. सरवन बासखोर पुत्र फूलचन्द्र सा 0 मिश्रा मार्केट बनकटा मुस्तफाबाद थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ बताया ने बताया कि साहब मैं और लड़की एक दूसरे का चाहते है घर वाले राजी नहीं थे तो मैं इसे बहलाफुसालकर भगा कर ले जा रहा था।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0स0 177/20 धारा 363/366/376 भादवि ¼ पाक्सो एक्ट थाना सिधारी आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त

सरवन बासखोर पुत्र फूलचन्द्र सा0 मिश्रा मार्केट बनकटा मुस्तफाबाद थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार /बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण

प्रभारी निरीक्षक विनय कुमार मिश्र थाना सिधारी आजमगढ़

उ0नि0 दिग्विजय नाथ तिवारी थाना सिधारी आजमगढ़

का0 देवतानन्द सिंह आजमगढ़

म0का0 दिव्या धवन थाना सिधारी जनपद आजमगढ़